विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	कार्मिक
प्रश्न संख्या अतारांकित	:	2202
उत्तर की तिथि	:	15–03–2022
विषय	:	साक्षात्कार कमेटी
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री पवन कुमार काजल (कांगड़ा)
संबंधित मन्त्री	:	मुख्य मन्त्री

प्रश्न

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि प्रदेश में प्रथम व द्वितीय श्रेणी की नियुक्तियां हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन शिमला द्वारा की जाती हैं, इसमें जो व्यक्तिगत साक्षात्कार लिए जाते हैं उस साक्षात्कार कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के दिशा–निर्देशों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों का सदस्य होना जरूरी है; यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा साक्षात्कार कमेटी में आरक्षित श्रेणियों के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है; यदि नहीं, तो सरकार आरक्षित श्रेणी के एक सदस्य को मनोनीत करने का विचार रखती है; ब्यौरा दें?

उत्तर

जी हां, यह सत्य है कि प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी की नियुक्तियां हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। Himachal Pradesh Public Service Commission(Procedure & Transaction of Business and Procedure for the conduct of Screening Tests / Examinations & Personality Tests Etc.) Rules, 2021 के नियम 7(डी)(v) के प्रावधानों के अनुरूप अध्यक्ष, हि0 प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा सामान्यतः बोर्ड का गठन किया जाता है जिसमें संबंधित विभागीय प्रतिनिधि तथा विषय विशेषज्ञ सम्मिलित होता है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में उपलब्ध दस्तावेजों में सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कोई भी दिशा निर्देश उपलब्ध नहीं हैं जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए गठित की जाने वाली साक्षात्कार कमेटी में आरक्षित श्रेणी का सदस्य होना जरूरी किया गया है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ऐसा करने का कोई विचार नहीं है।